"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2011—आषाढ़ 31, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—श्री देवी दयाल सिंह, भा.प्र.से. (2000) संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पदस्थ किया जाता है. साथ ही वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2011

क्रमांक ई-1-2/2011/एक/2.—श्री एस. पी. शोरी, भा.प्र.से. (2000) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, [illegible]

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 1-3/2011/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों में नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन 2011 हेतु मतदान के लिए नियत तिथि मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई, 2011 को सामान्य अवकाश घोषित करता है :—

क्रमांक	जिला	नगरीय निकाय का नाम
1.	जांजगीर चांपा	नगर पंचायत नयाबाराद्वार के रिक्त वार्ड क्रमांक 7
		नगर पंचायत राहौद के रिक्त वार्ड क्रमांक 15
2.	कोरबा	नगर पालिक निगम कोरबा के रिक्त वार्ड क्रमांक 4
3.	रायगढ़	नगर पंचायत सारंगढ़ (आम निर्वाचन)
4.	दुर्ग	नगर पालिका परिषद् कुम्हारी के रिक्त वार्ड क्रमांक 3
5.	कबीरधाम	नगर पंचायत सहसपुरलोहारा के रिक्त वार्ड क्रमांक 11
6.	कांकेर	नगर पंचायत चारामा के रिक्त वार्ड क्रमांक 4
7.	नारायणपुर	नगर पंचायत नारायणपुर के रिक्त वार्ड क्रमांक 1

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जून 2011

क्रमांक/एफ 9-21/32/2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 संशोधन 1996 की धारा 17 (क) (1) के अंतर्गत खैरागढ़ विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17 (क) (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी.

अधिनियम की धारा 17 (क) (1) की उपधारा	पद का नाम	संस्था/पता
(1)	(2)	(3)
(क)	अध्यक्ष	नगर पालिक परिषद् खैरागढ़
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत राजनांदगांव
(ग)	सांसद सदस्य	लोक सभा क्षेत्र राजनांदगांव

(1)	(2)	(3)
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़
(ङ)	कोई नहीं	नगर तथा ग्राम निवेश/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत खैरागढ़
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत कांचारी
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत खमतराई
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत दिलीपपुर
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत डोलिया कन्हार
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत गाड़ाडीह
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत मुतेड़ा
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत सण्डी
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत मुढ़पारा
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत कमलनारायणपुरा
	10. सरपंच	ग्राम पंचायत देवरीभाट
	11. सरपंच	ग्राम पंचायत भरदाकला
	12. सरपंच	ग्राम पंचायत पेण्ड्रीकला
	13. सरपंच	ग्राम पंचायत दवका
	14. सरपंच	ग्राम पंचायत झोराझोरी
	15. सरपंच	ग्राम पंचायत दल्लीटोला
	16. सरपंच	ग्राम पंचायत मुसका
	17. सरपंच	ग्राम पंचायत अकरजन
	18. सरपंच	ग्राम पंचायत हीरावाही
	19. सरपंच	ग्राम पंचायत कोहकाबोड़
	20. सरपंच	ग्राम पंचायत मारूटोलाकला
(ज)	1. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाऊन प्लानर इंडिया
	2. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया
	3. प्रतिनिधि	काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर इंडिया
	4. प्रतिनिधि	कलेक्टर, ज़िला राजनांदगांव
	5. प्रतिनिधि	पुलिस अधीक्षक, जिला राजनांदगांव
(झ)	समिति का संयोजक	संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नाम निर्देशित

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2011

क्रमांक/एफ 9-24/2011/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 संशोधन 1996 की धारा 17 (क) (1) के अंतर्गत बलौदा बाजार विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17 (क) (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी.

अधिनियम की धारा 17 (क) (1) की उपधारा	पद का नाम	संस्था का पता
(1)	(2)	(3)
(क)	अध्यक्ष	नगर पालिक परिषद् बलौदाबाजार, जिला रायपुर
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, रायपुर
(ग)	लोक सभा सदस्य	लोक सभा क्षेत्र, रायपुर

(1)	(2)	(3)
(घ)	विधायक	विधान सभा सदस्य, बलौदा बाजार
(ङ)	कोई नहीं	नगर तथा विकास/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत बलौदा बाजार
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत लटूवा
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत परसाभदेर (कुकुरडीह)
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत सोनपुरी
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत भरसेली (रैयत)
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत छुहिया (रैयत)
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत परसाभदेर (चरौटी)
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत कोकड़ी
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत खैरघटा
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत पहंदा
	10. सरपंच	ग्राम पंचायत सुकलाभाटा
(ज)	1. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट टाऊन प्लानर्स एसोसियेशन इंडिया नई दिल्ली
	2. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स एसोसियेशन इंडिया नई दिल्ली
	3. प्रतिनिधि	काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर नई दिल्ली
	4. प्रतिनिधि	जिलाध्यक्ष, जिला रायपुर
	5. प्रतिनिधि	पुलिस अधीक्षक, जिला रायपुर
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जून 2011

क्रमांक 1467/22/वि-7/2011.—राज्य शासन एतद्द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, छत्तीसगढ़ के क्रियान्वयन के प्रयोजनों के लिए "छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी निधि" के नाम से एक निधि स्थापित करती है एवं धारा 21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए "छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्" को इस निधि के प्रशासन के लिए विहित करती है.

2. छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी निधि से संबंधित बैंक खाते का संचालन आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना एवं संयुक्त संचालक (वित्त) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा.

3. इस राज्य निधि खाते की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा की जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबाशीष दास, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जून 2011

क्रमांक एफ 20-107/2009/11/(6).—राज्य शासन एतद्द्वारा औद्योगिक नीति 2009-14 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अधिसूचित "तकनीकी पेटेन्ट अनुदान योजना" को क्रियान्वित करने हेतु दिनांक 01 नवंबर, 2009 से प्रभावी "छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2009" निम्नानुसार लागू करता है :—

1. **परिचय** :— राज्य में औद्योगिक इकाइयों को उनके पेटेन्ट व बौद्धिक संपदा के अधिकारों के प्रति जागरूक करने व पेटेन्ट पंजीकृत कराने तथा उद्योगों में शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में तकनीकी पेटेन्ट अनुदान योजना लागू है, जो औद्योगिक नीति 2009-14 के कार्यकाल में भी संशोधित प्रावधानों के साथ लागू रहेगी.

2. **परिभाषाएं** :— इस योजना के अन्तर्गत नवीन उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, अप्रवासी भारतीय/शत प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक/अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग, विकलांग, महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारी तथा राज्य के मूल निवासी एवं इस अधिसूचना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अन्य परिभाषाएं, वही होगी जो औद्योगिक नीति 2009-14 के परिशिष्ट-1 पर दी गयी है.

   वैध दस्तावेज में सम्मिलित है-लघु उद्योग पंजीयन/ई.एम.पार्ट-1/आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र. इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु दस्तावेज की वैधता हेतु यह आवश्यक है कि दस्तावेज के निर्धारित वैधता अवधि में संबंधित उद्योग के पास भूमि का वैध आधिपत्य हो, या वैधता अवधि में उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण की स्वीकृति/सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कर ली हो.

3. **नियम** :— "तकनीकी पेटेन्ट अनुदान योजना" को क्रियान्वित करने के लिये बनाये गये नियम "छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2009" कहे जावेंगे.

4. **पात्रता** :—

   (1) औद्योगिक नीति 2009-14 की कालावधि दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले (उपाबंध-2 में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़कर) समस्त नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को उनके द्वारा उनके उत्पाद/उत्पादन प्रक्रिया के पेटेन्ट पंजीकृत कराने के उपरांत अनुदान की पात्रता होगी.

   (2) पात्र औद्योगिक इकाईयों को पेटेन्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के दिनांक/इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक/वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष की कालावधि के भीतर आवेदन करना होगा.

   (3) भारत शासन/राज्य शासन या अन्य राज्य शासन के निगम/मंडल/संस्था/बोर्ड/आयोग द्वारा स्थापित उद्योगों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी.

   (4) उद्योग में पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के दिनांक या वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक, जो पश्चात्वर्ती हो, से न्यूनतम 05 वर्ष तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्धता की स्थिति में कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी.

   (5) औद्योगिक इकाई के द्वारा यदि भारत शासन उद्योग मंत्रालय, अन्य मंत्रालय/राज्य शासन के किसी विभाग/एजेन्सी/वित्तीय संस्थाओं से पेटेन्ट पंजीयन पर अनुदान प्राप्त किया हो, तो उन्हें अनुदान की पात्रता नहीं होगी.

   (6) भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय/अन्य मंत्रालयों/पंजीकृत पेटेन्ट हाउस से पेटेन्ट पंजीकृत कराने पर ही अनुदान की पात्रता होगी.

(7) औद्योगिक इकाई को प्रति उत्पाद/प्रक्रिया/शोध पर केवल एक बार ही अनुदान की पात्रता होगी.

(8) विकसित उत्पाद/प्रक्रिया जिसका पेटेन्ट कराया गया है का वाणिज्यिक उत्पादन/उपयोग, पेटेन्ट कराने वाली औद्योगिक इकाई द्वारा ही किया जाना आवश्यक होगा.

(9) औद्योगिक नीति 2004-09 की कालावधि में जिन पात्र उद्योगों ने नियत दिनांक 1-11-2004 को/के पश्चात् उद्योग स्थापना हेतु सक्षम अधिकारी से लघु उद्योग पंजीयन/ई.एम. पार्ट-1/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस अर्जित किया हो जो वैध हो किन्तु 31 अक्टूबर 2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो, उन्हें भी औद्योगिक नीति 2009-2014 के अन्तर्गत (उपाबंध-2 में दर्शाये गये उद्योग न होने पर) इस अधिसूचना के अधीन अनुदान प्राप्त करने का विकल्प होगा.

5. **प्रक्रिया व अधिकार :—**

5.1 पात्र औद्योगिक इकाईयों को उपाबंध-1 अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति उपाबंध-4 में निर्धारित प्रारूप में कार्यालय द्वारा दी जावेगी.

(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-1/आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र.

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र.

(3) उपाबंध-3 में निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड एकाउन्टेंट का व्यय से संबंधित प्रमाण पत्र.

(4) तकनीकी पेटेन्ट से संबंधित प्रमाण पत्र/स्वीकृति प्रमाण पत्र की प्रति.

(5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र.

(6) विकलांग से संबंधित प्रकरणों में विकलांगता के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र.

(7) सेवानिवृत्त सैनिक से संबंधित प्रकरणों में संबंधित प्रशासकीय विभाग/कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र.

(8) नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रकरणों में संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र.

5.2 पात्र औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने ई.एम. पार्ट-2 तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र एवं तकनीकी पेटेन्ट से संबंधित प्रमाण पत्र/स्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा.

5.3 मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में प्रस्तुत स्वत्व का परीक्षण "उपाबंध 5" के अनुसार सहायक प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से कराकर "स्वत्व" के नियमों के अधीन होने पर "उपाबंध-6" में निर्धारित प्रारूप पर "स्वीकृति आदेश" जारी किया जावेगा.

मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से निरीक्षण कराकर अपने अभिमत के साथ आवेदन पत्र सत्यापित सहपत्रों सहित पूर्ण आवेदन प्रस्तुत होने के 30 दिवसों के भीतर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा जिस पर अपर संचालक उद्योग/संयुक्त संचालक द्वारा स्वत्वों के नियमों के अधीन होने पर "उपाबंध 6" में निर्धारित प्रारूप पर स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का स्वत्व नियमानुसार न होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के "निरस्तीकरण" का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति अपीलीय अधिकारी को निर्धारित अवधि 45 दिवसों में अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा.

5.4 तकनीकी पेटेन्ट अनुदान स्वीकृति के पश्चात् उद्योग संचालनालय द्वारा तकनीकी पेटेन्ट अनुदान के बजट का आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जावेगा.

5.5 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बजट आवंटन उपलब्ध होने पर ही औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी. अनुदान का वितरण "अनुदान स्वीकृति" के दिनांक के क्रम में किया जावेगा.

5.6 बजट आवंटन के अभाव में अनुदान की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा.

5.7 राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार का सत्यापन की प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/उसंचा-रा/2005/9766-81 दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार की जावेगी.

6. **अनुदान की मात्रा** :— औद्योगिक इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय नियमों कानूनों के अंतर्गत अपने शोध कार्य/आविष्कार पर पेटेंट पंजीकरण प्राप्त होने के उपरांत उद्यमियों द्वारा किये गये व्यय पर अनुदान की वर्गवार पात्रता निम्नानुसार होगी :—

क्र.	उद्यमी का वर्ग	अनुदान की मात्रा	अधिकतम सीमा राशि
1.	सामान्य	व्यय का 50 प्रतिशत	रु. 5.00 लाख
2.	अप्रवासी भारतीय तथा शत प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक	व्यय का 55 प्रतिशत	रु. 5.25 लाख
3.	विकलांग/महिला उद्यमी/सेवानिवृत्त सैनिक/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति	व्यय का 60 प्रतिशत	रु. 5.50 लाख
4.	अनुसूचित जाति/जनजाति	व्यय का 60 प्रतिशत	रु. 6.00 लाख

पेटेन्ट पंजीकरण प्राप्त करने में हुए व्ययों में सम्मिलित है-आवेदन शुल्क/अंकेक्षण शुल्क/पेटेंट शुल्क/लायसेंस शुल्क, प्रशिक्षण व्यय, तकनीकी कन्सलटेन्सी व्यय, पंजीकृत एजेंट को भुगतान किया गया कमीशन और पेटेन्ट कराये गये उत्पाद के अनुसंधान एवं शोध हेतु स्थापित यंत्र एवं साज-सज्जा पर हुआ व्यय एवं अन्य व्यय (यात्रा व्यय, होटल व्यय, टेलीफोन, मोबाईल व पत्राचार व्यय) का समावेश पात्र व्ययों की गणना में नहीं किया जावेगा.

7. **अनुदान की वसूली** :—

7.1 यदि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की पूर्ण राशि मय ब्याज एकमुश्त वसूली योग्य हो जावेगी एवं यह वसूली भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जा सकेगी. ब्याज की दर, वसूली आदेश जारी होने के दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू पी.एल.आर. से 2 प्रतिशत अधिक होगी तथा पूर्ण वसूली के दिनांक तक ब्याज देय होगा.

7.2 अनुदान स्वीकृतिकर्ता को यह अधिकार होगा कि तकनीकी पेटेन्ट अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात् भी नियमानुसार नहीं पाये जाने पर स्वीकृति आदेश निरस्त कर सके एवं यदि तकनीकी पेटेन्ट अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई को भुगतान कर दी गई है तो वसूल कर सकें.

7.3 औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 4 (4) में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि ब्याज सहित वसूल की जा सकेगी.

7.4 पेटेन्ट पंजीकृत कराने वाले औद्योगिक इकाई द्वारा यदि पेटेन्ट का विक्रय अथवा उपयोग की अनुमति अन्य औद्योगिक इकाई/व्यक्ति/संस्था को पेटेन्ट प्राप्ति के 5 वर्षों के भीतर दी जाती है तो अनुदान की राशि ब्याज सहित वसूल की जा सकेगी.

7.5 यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित स्थायी जाति प्रमाण-पत्र/विकलांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र/सेवानिवृत्त सैनिक से संबंधित प्रमाण पत्र/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रमाण पत्र/अप्रवासी/शत प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई अतिरिक्त अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी.

8. **अपील/वाद :—**

(1) मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को प्रस्तुत की जा सकेगी, किन्तु यदि आयुक्त, उद्योग संचालनालय ही भारसाधक सचिव (अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव) छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग हैं तो प्रथम अपील अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को प्रस्तुत की जावेगी.

(2) प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील भारसाधक सचिव (अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव) छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को प्रस्तुत की जा सकेगी.

(3) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रुपये 1000/- एवं मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में रुपये 2000/- का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी. अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील के साथ देय होगा. द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा.

शुल्क जमा किये जाने के लिये बजट शीर्ष निम्नानुसार होंगे :—

राज्य स्तर के प्रकरणों हेतु	बजट शीर्ष - 0852 उद्योग (80) उपभोक्ता (उद्योग) 800-(अन्य प्राप्तियां) 0674- अन्य प्राप्तियां
जिला स्तर के प्रकरणों हेतु	बजट शीर्ष - 0851 उद्योग (80) उपभोक्ता (उद्योग) 800-(अन्य प्राप्तियां) 0674- अन्य प्राप्तियां

(4) अपील शुल्क का भुगतान निर्धारित हेड के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा.

(5) कोई भी अपील आदेश जारी होने के 45 दिवसों के भीतर करनी होगी.

(6) अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा. अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा.

9. **अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :—**

(1) औद्योगिक इकाई को अनुदान की प्राप्ति के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग निरंतर कार्यरत रखना होगा.

(2) तकनीकी पेटेन्ट अनुदान प्राप्ति के पश्चात् आयुक्त/संचालक उद्योग की पूर्वानुमति के बिना इकाई के कारखाना स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, कारखाने का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा तथा कारखाने के अधोसंरचना तथा स्थायी परिसम्पत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा. उपरोक्त प्रकरण के आवेदन पत्रों पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग को प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर इन बिन्दुओं पर निर्णय का अधिकार होगा.

(3) अनुदान की पात्रता अवधि में अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क्र. 4 (4) में उल्लेखित प्रतिशत बनाये रखना होगा.

10. **कार्यकारी निर्देश :—** योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे. अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालिनालय द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा.

11. **स्वप्रेरणा से निर्णय :—** राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग किसी भी अभिलेख को बुला सकेगा तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा.

12. **फेसिलिटेशन काउंसिल :—** औद्योगिक इकाइयों को पेटेन्ट व बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों के प्रति जागरूकता, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेन्ट के संबंध में हो रहे कार्यकलाप व वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.), टेक्नोलॉजी इनफारमेशन फोरकास्टींग एण्ड असिसमेंट काउंन्सिल से सतत् सम्पर्क में रह कर पेटेन्ट पंजीयन को प्रोत्साहित करने तथा राज्य में स्थापित उद्योगों में शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उद्योग संचालनालय में एक "फेसिलिटेशन काउन्सिल" भी होगी जिसका प्रभारी उप संचालक स्तर का अधिकारी होगा.

फेसिलिटेशन काउन्सिल में तकनीकी पेटेन्ट/बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार आदि के संबंध में पूर्ण साहित्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय स्तर पर पेटेन्ट/बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार इत्यादि पर हो रहे परिवर्तनों की जानकारी रखी जावेगी. काउन्सिल की बैठक सामान्यत: 6 माह में एक बार होगी एवं फेसिलिटेशन सेल संबंधी व्यय सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा वहन किया जावेगा.

फेसिलिटेशन सेल का स्वरूप निम्नानुसार होगा :—

1.	भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्ह.कार्पो.लि. या उनका नाम निर्देशिती (जो कार्यपालक संचालक स्तर से कम न हो)	सदस्य
3.	संचालक, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम संस्थान या उनके नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
4.	रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा नामांकित कम से कम डाक्टरेट उपाधिसदस्य धारक प्रतिनिधि.	
5.	कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा नामांकित कम से कम डाक्टरेट उपाधिधारक प्रतिनिधि.	सदस्य
6.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के नामांकित वैज्ञानिक/यंत्री	सदस्य
7.	छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
8.	छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
9.	लघु उद्योग भारती द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
10.	उद्योग आयुक्त/संचालक/अपर संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय	सदस्य सचिव

13. नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा.

14. इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा.

15. **योजना का क्रियान्वयन :—** योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

उपाबंध-1

देखें (नियम 5.1)

("छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2009" के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन पत्र)

1. औद्योगिक इकाई का नाम व पता —
2. फैक्ट्री स्थल —
   स्थान —
   विकासखंड —
   जिला —
3. औद्योगिक इकाई का संगठन —
4. उद्यमी का वर्ग—
5. ई.एम.पार्ट-1 एवं ई.एम.पार्ट-2 क्रमांक
6. वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र क्रमांक
   6.1 उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता एवं
   6.2 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक —
   6.3 स्थायी पूंजी निवेश (रु. लाखों में) —
7. पेटेन्ट प्राप्ति करने का विवरण—
8. पेटेन्ट प्राप्त करने पर किया गया व्यय —
9. क्लेम राशि —
10. **रोजगार—**

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
अकुशल वर्ग				
अ.				
ब.				
स.				
कुशल वर्ग				
अ.				
ब.				
स.				
प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग				
अ.				
ब.				
स.				
योग				

स्थान :
दिनांक :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
पदमुद्रा
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

शपथ-पत्र

मैं .... आत्मज .... प्रबंध संचालक/संचालक/एकल स्वामी/साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, औद्योगिक इकाई .... जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री .... में स्थित है व ई. एम. पार्ट-1 क्रमांक .... दिनांक .... एवं ई. एम. पार्ट-2 प्रमाण पत्र क्रमांक .... दिनांक .... /वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र क्रमांक .... दिनांक .... है निम्नानुसार घोषणा करता हूं—

1. औद्योगिक इकाई .... ने "पेटेन्ट" .... प्राप्त किया है जिसका पंजीयन क्रमांक. .... है व इसका उपयोग औद्योगिक इकाई के उद्योग में ही उत्पाद निर्माण/उत्पाद प्रक्रिया में किया जा रहा है.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2009 का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन किया जायेगा.

3. यह भी घोषणा की जाती है कि औद्योगिक इकाई के उद्योग में उद्योग में पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के दिनांक या वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक, जो पश्चात्वर्ती हो, से न्यूनतम 05 वर्ष तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्धता की स्थिति में कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा.

4. औद्योगिक इकाई द्वारा तकनीकी पेटेन्ट प्राप्ति उपरांत भारत सरकार/राज्य शासन के किसी अन्य विभाग/वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है./अनुदान प्राप्त नहीं किया है.

या

औद्योगिक इकाई द्वारा तकनीकी पेटेन्ट प्राप्ति उपरांत भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग/वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु आवेदन किया है/अनुदान प्राप्त किया है.

5. उपरोक्त जानकारी गलत/त्रुटिपूर्ण/मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर या स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा तकनीकी पेटेन्ट अनुदान स्वीकृति आदेश निरस्त कर अनुदान की राशि वापिसी की मांग की जाती है तो 15 दिवसों के भीतर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान राशि मय निर्धारित ब्याज वापस की जावेगी.

स्थान :
दिनांक :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
पदमुद्रा
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

उपाबंध-2

औद्योगिक नीति 2009-14 का परिशिष्ट-2
(संतृप्त उद्योगों की सूची जिन्हें अनुदान की पात्रता नहीं है)

[देखें नियम 4 (1) एवं 4 (9)]

(1) स्टोन क्रेशर/गिट्टी निर्माण

(2) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)

(3) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर

(4) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग, ग्राईंडिंग, पलवराइजिंग

(5) चूना निर्माण

(6) पान मसाला, सुपारी एवं अन्य तंबाकू आधारित उद्योग

(7) पॉलिथन बेग (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)

(8) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस

(9) स्पांज आयरन

(10) राईस मिल

(11) मिनी सीमेंट प्लांट/क्लिंकर

(12) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग

(13) आरा मिल (सॉ मिल)

(14) लेदर टैनरी

(15) जाब वर्क्स (सूक्ष्म उद्योगों द्वारा किये गये जाने वाले जॉब वर्क को छोड़कर)

(16) भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम द्वारा स्थापित उद्योग

(17) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं.

टीप :— संतृप्त श्रेणी का उद्योग अन्य किसी श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में संपूर्ण परियोजना को संतृप्त श्रेणी का मानते हुये अनुदान एवं छूट की पात्रता निर्धारित की जायेगी.

औद्योगिक नीति 2009-14 के परिशिष्ट-5 में सम्मिलित उद्योग, जिन्हें अनुदान की पात्रता नहीं होगी

अ- सीमेंट/क्लिंकर प्लांट

ब- इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट

स- एल्यूमिना/एल्युमिनियम प्लांट

द- ताप विद्युत संयंत्र (केप्टिव विद्युत संयंत्र को छोड़कर)

उपाबंध-3

[देखें नियम 5.1 (3)]

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण-पत्र)
(लेटर हैड पर मूल प्रति में)

1- औद्योगिक इकाई ....
जिसका पंजीकृत पता .... है व कारखाना .... में
स्थित है, जिसका ई. एम. पार्ट-1 क्रमांक .... दिनांक .... एवं ई. एम. पार्ट-2 प्रमाण
पत्र क्रमांक .... दिनांक ..../वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र क्रमांक .... है,
ने पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण पत्र/पेटेन्ट स्वीकृति प्रमाण पत्र क्रमांक .... दिनांक .... प्राप्त
किया है, जिस पर दिनांक .... तक किया गया व्यय रुपये ....
(अक्षरों में) .... है, निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है :—

क्र.	विवरण पेटेन्ट पंजीयन पर किया गया व्यय	पेटेन्ट पंजीयन विभाग/ पेटेन्ट एजेन्ट जिसे भुगतान किया गया है	व्यय राशि	भुगतान राशि
1	2	3	4	5
1	आवेदन शुल्क			
2	अंकेक्षण शुल्क			
3	लायसेंस शुल्क			
4	प्रशिक्षण व्यय			
5	तकनीकी कन्सलटेंसी व्यय			
6	पेटेन्ट एजेन्ट कमीशन व्यय			
7	अनुसंधान एवं शोध हेतु स्थापित यंत्र एवं साज सज्जा संबंधी व्यय			
8	पेटेंट शुल्क			
9	अन्य व्यय			
	योग			

स्थान :
दिनांक :

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व
पता
पदमुद्रा
हस्ताक्षर
सदस्यता क्रमांक

उपाबंध-4
(देखें नियम 5.1)
(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला . . . .

मेसर्स . . . . पता . . . .
द्वारा "छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम-2009". . . . . के अन्तर्गत आवेदन
दिनांक . . . . (अक्षरी) . . . . को प्राप्त हुआ है.
प्रकरण का पंजीयन क्रमांक . . . . है. भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें.

स्थान -
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी/कार्यालय
पदमुद्रा

उपाबंध-5
देखें (नियम 5.3)

"छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2009" के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान आवेदन पर निरीक्षण प्रतिवेदन व अभिमत
निरीक्षण अधिकारी की टीप व अभिमत

1. औद्योगिक इकाई का नाम व पता —
2. कारखाना स्थल —
   स्थान —
   विकासखंड —
   जिला —
3. औद्योगिक इकाई का संगठन —
4. उद्यमी का वर्ग—
5. ई. एम. पार्ट-1 क्रमांक . . . . दिनांक . . . .
   एवं ई. एम. पार्ट-2 प्रमाण पत्र क्रमांक . . . . दिनांक . . . .
6. वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक—
   6.1 उत्पाद
   6.2 वार्षिक उत्पादन क्षमता
   6.3 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक —
   6.4 स्थायी पूंजी निवेश (रु. लाखों में) —
7. पेटेन्ट प्राप्त करने संबंधी विवरण व पंजीयन क्रमांक—
8. पेटेन्ट प्राप्त करने पर किया गया व्यय—
9. उद्योग वर्तमान में कार्यरत/बंद है.

10. **रोजगार—**

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
अकुशल वर्ग				
अ...........				
ब...........				
स...........				
कुशल वर्ग				
अ...........				
ब...........				
स...........				
प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग				
अ...........				
ब...........				
स...........				
योग				

11. औद्योगिक इकाई द्वारा प्राप्त पेटेन्ट का प्रयोग औद्योगिक इकाई के उद्योग में निर्मित उत्पाद/उत्पादन प्रक्रिया में होने बाबत टीप

12. औद्योगिक इकाई द्वारा प्राप्त किये गये तकनीकी पेटेन्ट अनुदान .... पर की गई व्यय राशि में .... रु. मान्य है. अमान्य की गई राशि व उसका कारण निम्नानुसार है :—
1-
2-
3-
4-

13. अभिमत एवं अनुशंसा :

स्थान :
दिनांक :

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के
हस्ताक्षर
नाम
पद
पदमुद्रा

उपाबंध-6

(देखें नियम 5.3)

"छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2004" के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश

उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छत्तीसगढ़

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक . . . . दिनांक . . . . द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2009 के नियम क्रमांक "5.3" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार तकनीकी पेटेन्ट अनुदान के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा जारी की जाती है.

1- औद्योगिक इकाई का नाम व पता —

2- उद्योग का स्वरूप —

3- औद्योगिक इकाई का संगठन—

4- उद्यमी का वर्ग—

5- उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता—

6- वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

7- औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल—

(स्थान, विकासखंड व जिला)

8- पेटेन्ट का पंजीयन क्रमांक/दिनांक/संस्था

9- पेटेन्ट पर किया गया अनुमोदित व्यय—

10- स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष- . . . . के निम्नलिखित बजट शीर्ष में विकलनीय होगी :—

मांग संख्या — . . . .

(3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जावेगा.

अपर संचालक/संयुक्त संचालक,
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़
मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र . . . .

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./16/अ-82/वर्ष 10-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	तेलीबांधा प. ह. नं. 113	614, 613	0.0160	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक-1 रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 06 रायपुर से माना एयर पोर्ट (हवाई तल) के दाहिनी ओर मार्ग निर्माण.
			612/2, 614/1, 615/5	0.0500		
			615/3	0.0820		
			616	0.0090		
			617	0.0910		
			646	0.0150		
		योग	6	0.2630		

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./17/अ-82/वर्ष 10-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	पुरैना प. ह. नं. 113	336	0.020	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक-1 रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 06 रायपुर से माना एयर पोर्ट (हवाई तल) के दाहिनी ओर मार्ग निर्माण.
			337/2, 337/6	0.020		
			337/7, 337/8	0.070		
			347/1, 348/1, 2, 3	0.093		
			347/9	0.035		
			347/7, 8	0.046		
			346/2	0.081		
			405/2, 405/4, 405/5	0.054		
			405/3-6 415/2	0.090		
			409/10, 409/12	0.062		
			409/8, 409/4, 390/1, 391, 410	0.177		
			410/3-13	0.062		
			410	0.010		
			347	0.009		
		योग	14	0.829		

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./18/अ-82/वर्ष 10-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	अमलीडीह प. ह. नं. 114	265	0.016	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक-1 रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 06 रायपुर से माना एयर पोर्ट (हवाई तल) के दाहिनी ओर मार्ग निर्माण.
			266/2-5	0.103		
			267/1-2, 207/4	0.055		
			268/2, 269/2	0.056		
			289/2-4	0.038		
			289/16	0.030		
			289	0.006		
			289/34	0.058		
			389/48, 289/61	0.052		
			289/10, 289/50	0.052		
			289/92	0.021		
			289/49, 289/90	0.039		
			289/28, 39, 68	0.085		
			289/174	0.052		
			289/48, 289/90	0.039		
			289/28, 39, 68	0.085		
			289/174	0.052		
			292	0.014		
		योग	18	0.854		

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./19/अ-82/वर्ष 10-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	डुमरतराई प. ह. नं. 115	110/3-8	0.125	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक-1 रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 06 रायपुर से माना एयर पोर्ट (हवाई तल) के दाहिनी ओर मार्ग निर्माण.
			1108/6, 110/15, 16, 17	0.030		
			139/4, 142/23	0.032		
			142/4	0.030		
			142/32, 33	0.026		
			142	0.011		
			142/31	0.025		
			142/3	0.091		
			142/25, 142/26, 142/29	0.090		
			142/18, 5, 6, 7, 19	0.048		
		योग	10	0.509		

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./20/अ-82/वर्ष 10-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	टेमरी प. ह. नं. 54	33/2, 3, 7, 8 35/1, 3, 4, 5	0.120	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक-1 रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 06 रायपुर से माना एयर पोर्ट (हवाई तल) के दाहिनी ओर मार्ग निर्माण.
			36/1	0.086		
			39/7	0.010		
			39/3	0.052		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			39/5	0.028		
			41	0.007		
			57/1	0.036		
			57/5	0.130		
			70/4	0.012		
			72/4	0.020		
			72/5	0.054		
			72/7	0.022		
			73/1	0.076		
			73	0.039		
			53/12, 73/18, 19, 74/3	0.040		
			77, 78, 79/4	0.035		
			77, 78, 79/6	0.030		
			376/1, 376/4	0.334		
			356/1	0.020		
			354/1, 357/1, 355/1	0.040		
			361	0.030		
			361/3, 6, 362/4	0.025		
			288/5, 288/12	0.156		
			289/1	0.026		
			290/7	0.072		
			298/2	0.088		
			290/7	0.010		
			332/5	0.020		
			332/17	0.040		
			330/1, 331/1	0.056		
			329/1	0.060		
			329/6	0.030		
			325/5	0.064		
			311/36	0.036		
			311/9, 311/29	0.060		
			311/4, 311/28	0.078		
			311/3	0.020		
			311/21, 311/27	0.076		
			75/3	0.055		
			76/3	0.088		
			77/3, 78/3, 79/3	0.029		
			356/3	0.023		
			358	0.039		
			361/4, 5	0.022		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			362/1, 2	0.037		
			363/1	0.019		
			363/3	0.019		
			288/4	0.130		
			290/3	0.059		
			298/7	0.090		
			299/9	0.029		
			298/5	0.039		
			299/1	0.075		
			300/1	0.009		
			330/3	0.019		
			310/1	0.119		
			311/7	0.019		
			311/6	0.046		
			311/10	0.083		
			311/24	0.029		
			311/1	0.069		
			311/2	0.059		
		योग	62	3.343		

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./21/अ-82/वर्ष 10-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	फुण्डहर प. ह. नं. 114/115	10/9, 10, 11	0.078	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक-1 रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 06 रायपुर से माना एयर पोर्ट (हवाई तल) के दाहिनी ओर मार्ग निर्माण.
			11	0.018		
			136/120, 38/120	0.028		
			136/53, 138/53	0.027		
			136/52, 138/52	0.046		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			136/95, 138/95, 136/146, 136, 146	0.090		
			136/19-20-23 138/19-20-23	0.102		
			140/3, 141/3, 142/3	0.077		
			144/1	0.016		
			140/23-24 141/23-24 142/23-24	0.052		
			140/38, 141/38, 142/38	0.010		
			141/36, 141/36, 142/36	0.044		
			195/25-26	0.040		
			195/5	0.036		
			202/4	0.039		
			202/8	0.080		
			120/3	0.024		
			208/1-2, 208/5	0.120		
			212/3-4	0.049		
			214/2	0.077		
			218/3	0.013		
			218/5	0.035		
			90/2	0.064		
		योग	23	1.164		

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./22/अ-82/वर्ष 10-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	धरमपुरा प. ह. नं. 54	351/10	0.077	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक-1 रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 06 रायपुर से माना एयर पोर्ट (हवाई तल) के दाहिनी ओर मार्ग निर्माण.
			351/9	0.078		
			302/21	0.039		
			302/21, 302/28	0.085		
			302/22, 23	0.029		
			302/24	0.023		
			302/25	0.023		
			302/26	0.029		
			302/31	0.059		
			302/32	0.019		
			302/38	0.190		
			351/1	0.039		
			351/5-6-12	0.079		
			351/13	0.090		
			351/2#7	0.059		
		योग	**15**	**0.918**		

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./23/अ-82/वर्ष 10-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	बनरसी प. ह. नं. 54	339/1	0.020	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक-1 रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 06 रायपुर से माना एयर पोर्ट (हवाई तल) के दाहिनी ओर मार्ग निर्माण.
			344, 345/1-2	0.096		
			347/1	0.109		
			347/2	0.046		
			349/1	0.018		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			393/1, 3, 392/1	0.079		
			391/2	0.089		
			390	0.008		
			388/6-7	0.046		
			388/1, 2, 3, 8, 9, 10, 11	0.101		
			383/2, 3, 4, 5, 6	0.190		
			419/2	0.010		
		योग	12	0.812		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्रमांक क/भू-अर्जन/11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	कुम्हारीकला प.ह.नं. 12	1.28	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)	सड़क कुम्हारीकला मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 जून 2011

क्रमांक 26/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	रामपुर प. ह. नं. 2	0.012	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिटकुली (कबीरधाम) जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 23 जून 2011

रा. प्र. क्र. 14/अ/82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	कुरूवा प. ह. नं. 55	0.110	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला कबीरधाम (छ. ग.)	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत वितरक नहर निर्माण में पूरक.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 जून 2011

रा. प्र. क्र. 20/अ/82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	मोतिमपुर प. ह. नं. 49	1.025	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज के मुख्य नहर एवं अमलीडीह वितरक शाखा नहर निर्माण हेतु (पूरक प्रकरण)

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 जून 2011

रा. प्र. क्र. 21/अ/82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	भादूटोला प. ह. नं. 46	0.305	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला-कबीरधाम.	अमलीडीह वितरक शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 जून 2011

ग. प्र. क्र. 22/अ/82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :--

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	चनाटोला प. ह. नं. 56	0.177	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला-कबीरधाम.	दुल्लापुर वितरक नहर निर्माण हेतु. (पूरक प्रस्ताव)

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्रमांक/3706/भू-अर्जन/कले./2011.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	श्रीरामनगर कांकेर	19.81	कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, धमतरी.	विकास नगर योजना अंतर्गत.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. खाखा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 2 जून 2011

क्रमांक 22/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-देवरगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.45 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	750	0.04
	752/1	0.41
	735/4	0.25
	731/2	0.42
	737	0.45
	738	1.34
	736	0.20
	741	0.52
	746/1	0.42
	752/2	0.41
	743/1	0.38
	735/1	0.24
	735/3	0.24
	746/2	0.42
	747	0.34
	735/2	0.24
	743/2	0.38
	745, 744/2	0.03
	746/4	0.30
	746/5	0.33
	731/3, 742/1 घ	0.09
योग	19	7.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुख्य अभियंता (निर्माण-I), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा सारबहरा स्टेशन से पेण्ड्रारोड स्टेशन तक रेल मार्ग दोहरीकरण परियोजना के रेल दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 जून 2011

क्रमांक 24/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-सारबहरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.51 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	9	0.75
	15	1.49
	877	1.27
योग	3	3.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुख्य अभियंता (निर्माण-I), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा सारबहरा स्टेशन से पेण्ड्रारोड स्टेशन तक रेल मार्ग दोहरीकरण परियोजना के रेल दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जून 2011

क्रमांक 25/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-पतरकोनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.82 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
213	0.02
214	0.12
217/2	0.36
10/1	0.20
145/4	0.14
98/3	0.89
36/1	0.66
142	1.27
209/1	0.31
209/2	0.06
40/2	0.43
160/3	0.45
208/1	0.15
37	0.44
207	1.42
212	0.14
39/2	0.30
42/4	0.23
42/5	0.18
38/1	0.35
36/2	0.67
98/1	0.21
38/2	0.18
38/4	0.44
39/1	0.49
42/2	0.05
42/3	0.41
141/2	0.95
150	0.25
209/3	0.05
35/2	0.59
98/2	[illegible]
145/3	[illegible]
152/1	[illegible]
160/1	[illegible]
217/1	[illegible]
217/5	[illegible]
160/2	[illegible]
153	0.09
217/3	0.36
163/3	0.45
43/3	0.50
43/4	0.10
43/5	0.36
161	0.30
217/4	[illegible]
217/6	0.30
योग 47	18.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुख्य अभियंता (निर्माण-I), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा सारबहरा स्टेशन से पेण्ड्रारोड स्टेशन तक रेल मार्ग दोहरीकरण परियोजना के रेल दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 जून 2011

क्रमांक 23/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-मडना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.81 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
67/1, 6	1.15
70	0.10
66/1 ण	0.45
66/1 ग	0.07
69/1	0.08
111	0.73
110	0.60
67/2	1.18
66/1 ट/3	0.34
73/2	0.24
104	0.29
44	0.05
112	0.06
45	0.90
42/3	0.45
66/1 ठ	0.12
योग 16	6.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुख्य अभियंता (निर्माण-I), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा सारबहरा स्टेशन से पेण्ड्रारोड स्टेशन तक रेल मार्ग दोहरीकरण परियोजना के रेल दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जून 2011

प्रकरण क्र. 05/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गौबन्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.891 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
385	0.097
384	0.089
318	0.008
319	0.008
320	0.004
269	0.020
275/3	0.312
202/7	0.170
279/1	0.016
266	0.130
265	0.077
279/2	0.016
267/1	0.101
267/3	0.069
267/2	0.069
267/4	0.069
184/2	0.065
168/6	0.089
276	0.065
282/2	0.004
280/1	0.040
281	0.053
202/4	0.259
257/1	0.486
257/2	0.069
331/2	0.506
योग 26	2.891

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लछनपुर व्यपवर्तन योजना, मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 जून 2011

क्रमांक 12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मल्दाकला, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.463 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	253/1 क/46	0.085
	253/1 क/65	0.202
	253/1 क/56	0.040
	253/1 क/74	0.121
	253/1 क/45	0.162
	253/1 क/75	0.162
	253/1 क/69	0.283
	253/1 क/64, 253/1 क/47	0.323
	253/1 क/44	0.085
योग	9	1.463

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हसौद वितरक नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक [illegible] जून 2011

क्रमांक 13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-परसापाली, प. ह. नं. [illegible]
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.156 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	460	0.016
	671	0.028
	718/9	0.040
	1225/2 छ/9	0.012
	1225/2 छ/8	0.016
	1225/2 छ/7	0.012
	1225/2 छ/6	0.016
	1225/2 छ/5	0.016
योग	8	0.156

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-परसापाली माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 जून 2011

क्रमांक 14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-हसौद, प. ह. नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.109 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1178/2	0.061
2223/1	0.028
2214/3, 2214/4	0.020
योग 3	0.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हसौद वितरक नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 जून 2011

क्रमांक 15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चांपा

(ग) नगर/ग्राम-सोनादह, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
889	0.085
885/2	0.012
योग 2	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनादह माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 जून 2011

क्रमांक 16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-चिस्दा, प. ह. नं. 25

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2499/4	0.065
2499/6	0.032
योग 2	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चिस्दा माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्रमांक 17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हसौद, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.186 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1603/4	0.121
	1618/10	0.065
योग	2	0.186

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चिस्दा माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 30 मई 2011

रा.प्र.क्र. 04/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़
- (ख) तहसील-मनोरा
- (ग) नगर/ग्राम-हर्राडीपा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.555 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	7/3	0.045
	8	0.231
	12	0.061
	9/1	0.040
	9/2	0.036
	11	0.028
	30	0.045
	31/1 ख	0.069
योग	8	0.555

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सरडीह तालाब योजना के नहर निर्माण में आने वाली भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

जशपुर, दिनांक 24 जून 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-पत्थलगांव

(ग) नगर/ग्राम-जामझोर, प. ह. नं. 38

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.886 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/3, 4/1	0.009
3	0.018
1/2 घ	0.132
9/1	0.077
8/1	0.045
9/2 क	0.277
9/4	0.001
330/1 ङ	0.057
348/1 घ	0.097
17	0.098
349/3	0.001
349/2	0.158
330/7	0.121
330/1 क	0.097
394	0.049
400	0.049
496/1	0.038
501	0.073
499/2	0.032
1/2 ज	0.073
1/2 ङ	0.016
329/1	0.049
330/1 ख	0.032
345/5	0.162
348/1 ग	0.049
330/1 घ	0.138
330/9	0.045
330/13	0.016
397	0.016
423	0.065
344	0.089
352/2 ख	0.061
330/10	0.016
330/21	0.162
364/2	0.057
393	0.008
398	0.121
405	0.275
366/1	0.089
426/7	0.089
497/1	0.049
498/1	0.101
499/1	0.057
237/2, 340/4	0.032
338	0.049
337/1	0.194
497/2 ख	0.033
428/2 क	0.259
496/4	0.059
404	0.146
401	0.097
424	0.138
715	0.081
429/1	0.340
429/2	0.081
337/3, 340/3	0.113
योग 56	4.886

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गेरानाला जलाशय योजना की एल.बी.सी. मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनन्द, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2011

क्रमांक 227/स्थापना/रा.मं./2011.—पूर्व में इस कार्यालय के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 643/स्थापना/रा.मं./2011, बिलासपुर दिनांक 23-6-2011 में प्रशासकीय कारणों से अध्यक्ष एवं सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग. के मध्य न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई एवं निर्वतन हेतु कार्य विभाजन किया गया था. उक्त अधिसूचना की कंडिका (ब) में प्रशासकीय कारणों से निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है—

क्रमांक	अध्यक्ष/सदस्य	क्षेत्राधिकार
1.	श्री अजय पाल सिंह अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.	राजस्व जिला बिलासपुर, सरगुजा (अंबिकापुर), कोरबा, रायगढ़, रायपुर, कांकेर एवं दुर्ग.
2.	डॉ. दुर्गेश चन्द्र मिश्रा सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग.	राजस्व जिला धमतरी, जांजगीर-चांपा, राजनांदगांव, बस्तर (जगदलपुर), दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), बीजापुर, नारायणपुर, जशपुर, कोरिया, महासमुंद एवं कवर्धा.

इस कार्यालय की अधिसूचना दिनांक 23-06-2011 की शेष सभी कंडिकायें यथावत् रहेगी.

अजय पाल सिंह,
अध्यक्ष.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2011

क्रमांक 56/दो-2-4/2000.—श्री अशोक कुमार निमोनकर, पीठासीन अधिकारी, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, रायपुर दिनांक 31-01-2010 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 190 (एक सौ नब्बे) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में प्रदान की जाती है.

Bilaspur, the 7th July 2011

No. 397/Confdl./2011/II-1-1/2009.—Hon'ble Shri Justice R. L. Jhanwar, Additional Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur has demitted the office of Additional Judge of the High Court of Chhattigarh on 05-07-2011 in the afternoon on the eve of His Lordship attaining the age of 62 years.

By order of hon'ble the Chief Justice,
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 30th June 2011

No. 377/L.G./2011/II-2-3/2000.—Smt. Anuradha Khare, District & Sessions Judge, Kabirdham (Kawardha) is hereby, granted earned leave for 02 days from 07-07-2011 to 08-07-2011 and permission to suffix holidays of 09-07-2011 & 10-07-2011 (2nd Saturday & Sunday) along with permission to remain out of headquarters after Court hours on 06-07-2011 till before the Court hours on 11-07-2011.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Khare, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 260 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 30th June 2011

No. 378/L.G./2011/II-3-16/2006.—Shri A. K. Shukla, District & Sessions Judge, Dhamtari is hereby, granted earned leave for 04 days from 01-07-2011 to 04-07-2011 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours on 30-06-2011 till the morning of 05-07-2011.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shukla, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 261 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 7th July 2011

No. 379/L.G./2011/II-2-11/2004.—Shri I. S. Uboweja, District & Sessions Judge, Bastar at Jagdalpur is hereby, granted earned leave for 09 days from 22-07-2011 to 30-07-2011 and permission to suffis holiday of 31-07-2011 (Sunday) along with permission to remain out of headquarters after the office hours on 21-07-2011 till before the office hours on 01-08-2011.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Uboweja, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 260 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.